No. 2018/HQ/Admin/RTI-329 New Delhi: 25.09.2018

Shri Dheeraj Kumar Sharma
S/o Sh. Subhash Chandra Sharma
Village- Sirthaul, Post- Hathras Junction
Janpad-Hathras

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 30.07.18 received in this office on 14.08.18.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 03 Sheets.

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 20.09.2018

डी० जी० एम० पी० आई० ओ०
डी० एफ० सी० सी० आई० एल०
नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:-
I आपके पत्र संख्या 2016/HQ/ADMIN/RTI-329 दिनांक 16.08.2018 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला में पत्र प्राप्ति दिनांक 24.08.2018
II आपके पत्र संख्या 2016/HQ/ADMIN/RTI-329 दिनांक 18.09.2018 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला में पत्र प्राप्ति दिनांक 18.09.2018
III सहायक परियोजना प्रबंधक/विधुत/टूंडला के पत्र सं. TDL/EN/RTI/212 (A) दिनांक 19.09.2018

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु सहायक परियोजना प्रबंधक/विधुत/टूंडला को निर्देशित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत सहायक परियोजना प्रबंधक/विधुत/टूंडला से जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है |

संलग्नक:- 02 प्रष्ट |

(सुभाष चंद्रा)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला

प्रतिलिपि:- मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित |

RECEIVED
Dy. No. 868/2018
Date 25/9/18
Sign.:

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,Mayur Complex,Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02,Agra -282002
Telefax: 0562-2885577 E mail,abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A) दिनांक:- 19.09.2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत
DFCCIL/Tundla

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- I आपके पत्र संख्या 2016/HQ/ADMIN/RTI-329 दिनांक 16.08.2018 कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला में पत्र प्राप्ति दिनांक 24.08.2018

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी बिन्दुवार उपलब्ध करायी जा रही है |

क्रम सं	चाही गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	डैडीकेटेड फ्रन्ट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा नई रेलवे लाइन के समीप 132 के.वी. डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन को विस्थापित कर नई संशोधित लाइन रेल मंत्रालय भारत सरकार की माल भाडा परियोजना में मेरी कृषि योग्य भूमि के ऊपर से 132 के.वी. ट्रान्समीशन लाइन गुजर रही है। पारेक्षण लाइन के राइट ऑफ वे के सम्बन्ध में किसानों की क्षति पूर्ति हेतु आपके परियोजना को क्या–क्या दिशा निर्देश हैं। की प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	नई 132 के.वी. ट्रांसमीशन लाइन बनाते समय टावर फाउन्डेशन, टावर इरेक्शन तथा तार खींचते समय हुई फसल की क्षति का नियमानुसार समय–समय पर परियोजना से प्रभावित हुए सभी किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जा चुका है, अन्य इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश नहीं है।
2	क्या मैं अपनी कृषि योग्य भूमि पर ट्रांसमीशन लाइनके नीचे मकान व फ्लैट आदि का निर्माण कर सकता हूँ अथवा नहीं ? अगर नही तो क्यों नहीं की स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि यह जानकारी आर.टी.आई एक्ट के दायरे में नहीं आती है।
3	डैडीकेटेड फ्रन्ट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा मेरी कृषि योग्य भूमि पर एक ही स्थान पर दो टावरों का निर्माण कराया है। जिसमें एक टावर पर 132 के.वी. ट्रान्समीशन लाइन जा रही है। व दूसरा अभी	

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

	कराया है। जिसमें एक टावर पर 132 के.वी. ट्रान्समीशन लाइन जा रही है। व दूसरा अभी खाली पडा हुआ है। मुझे उन टॉवरों से होने वाले फायदों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	
4	परियोजना से प्रभावित होने वाले किसानों की "क्षति" हुई जमीन व फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार विद्युत मंत्रालय, श्रम भाक्ति भवन, नई दिल्ली द्वारा भाासनादेश संख्या 03/07/2015 ट्रेन्स दिनांक 15/10/2015 पारेक्षण लाइन के राइट ऑफ वे एवं डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 रेल मंत्रालय भारत सरकार की 132 के.वी. डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन मालभाडा परियोजना आपस में एक समान हैं अथवा भिन्न हैं। अगर भिन्न हैं तो आप "क्षति" हेतु अपनी परियोजना की प्रमाणित गाइड लाइन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस संन्द्रर्भित शासनादेश के सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई जानकारी उपल्बध नही है।
5	डैडीकेटेड फ्रन्ट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा नई 132 के.वी. ट्रान्समीशन लाइन को विस्थापित होने के बाद पुराने टॉवर के चारों लैग को गैस कटर द्वारा काटने के बाद किसानों के खेत में यथास्थित छोड दिया गया है। क्या चारों लैग हमेशा के लिए खेत में ऐसे ही खडे रहेंगें ? क्या डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा कार्यदायी संस्था को टॉवर उखाडने के लिए धन आवंटित किया गया है अथवा नहीं, की प्रमाणित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 कार्यदायी संस्था को पुराने टावर उखाडने के लिए कोई भी धन आवंटित नहीं किया गया है।

20/9/18

(डी. के. तिवारी)
सहायक परियोजना प्रबन्धक/विद्युत/टूंडला

Office Of Chief Project Manager ... 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex ...